

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सीकर

क्रमांक : ८२६-४३२-

/राजस्व/०६

दिनांक 04.11.2006



संपरिवर्तन – आदेश

प्रिंस पब्लिक स्कूल संस्था, पालवास रोड, ग्राम नानी (सीकर) जरिये श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट तह० सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र व पेरा-फेरी वेल्ट कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये राजस्वान भू-राजस्व संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम ८(२)(८)(३) व राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के पारपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संस्थानिक संपरिवर्तन दिया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

१ आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता

प्रिंस पब्लिक स्कूल संस्था, पालवास रोड, ग्राम नानी (सीकर) जरिये श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट सीकर नहीं

२ क्या आवेदक अनु० जाति या अनु० जनजाति का सदस्य है:

नानी, ग्राम पंचायत नानी, तह० सीकर ख० नं० १३९१/९६५ रक्वा ०.५६ हैक्टर

३ संपरिवर्तित भूमि का व्यौरा:

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम

ख० नं० १३९१/९६५ रक्वा ०.५६ हैक्टर अर्थात् ५६०० वर्ग मीटर

(ख) भूमि का खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल (हैक्टर में)

नवशा की सत्यापित प्रति संलग्न है।

(ग) प्रत्येक खसरा सं० और प्रत्येक खसरा सं० का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में)

टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राठौ नवशों में सुनसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

संस्थानिक रूपान्तरण शिक्षण कार्य हेतु

10.00 रु. प्रति वर्गगज 5000 वर्गगज तक व. १००

1699 वर्गगज का आधी 05.00 रु. प्रति वर्गगज

रु

प्रमाणित दस्तावेज़ दोस्त